संख्या: 21/2015/901/पैंतीस-2-2015-3/39(47)/14टी0सी0

प्रेषक,

कृष्ण कान्त अस्थाना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 2015**

विषय- **वर्ष 2015-16 में अर्थ् एवं संख्या भवन का नवीनीकरण/रिमाडलिंग योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 422/ले0-38/2014 (एस0एन0डी0), दिनांक 01.06.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा अर्थ एवं संख्या भवन का नवीनीकरण/रिमाडलिंग हेतु वर्ष 2015-16 में व्यय की नई मांग के माध्यम से रू0 19.69 लाख की कराई गई बजट व्यवस्था की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में प्रस्तावित कार्य योजना लागत रू0 19.69 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन के आदेश संख्या: 20/2015/706/पैतीस-2-2015-3/39(47)/14टी0सी0, दिनांक 03.07.2015 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त अर्थ एवं संख्या भवन का नवीनीकरण/रिमाडलिंग योजनान्तर्गत प्रभाग मुख्यालय के उपलब्ध हाल को मीटिंग हाल के रूप में परिवर्तित कराये जाने संबंधी प्रस्तावित कार्य हेतु रू0 19,69,000/- (रू0 उन्नीस लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में उल्लिखित प्रावधानों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- वस्तुओं का क्रय करते समय उ0प्र0 स्टोर पर्चेस रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चिश्त किया जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का आबंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7- वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

8- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अर्थ एवं संख्या निदेशालय-12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

संख्या: 21/2015/901(1)/पैतीस-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।